झारखण्ड सरकार

विधि (न्याय) विभाग

दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2002

सत्यमेव जयते

अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय,
झारखण्ड, राँची द्वारा मुद्रित
2002

दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2002

विषय सूची।

प्रस्तावना ।

धाराएँ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 167 (2) का संशोधन।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2002

झारखण्ड राज्य में लागू होने की सीमा तक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) को पुनः संशोधन करने के लिये विधेयक ।

भारत गणराज्य के तीरपनवें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ : –

   (1) यह अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जा सकेगा।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (3) यह राजकीय गजट में अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. धारा 167 का संशोधन :– दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 की उपधारा (2) में, झारखण्ड राज्य में इसके अनुप्रयोग में :–

   (1) खण्ड (ख) में शब्द 'समक्ष' एवं 'पेश' के बीच निम्नलिखित अंश अन्तः स्थापित किये जायेंगे –

   "सशरीर या इलेक्ट्रोनिक विडियो लिंकेज के माध्यम से"

   (2) धारा 167 के ही अधोभाग में अंकित 'स्पष्टीकरण'– II में शब्द "समक्ष" एवं "पेश" के बीच निम्नलिखित अंश अन्तः स्थापित किये जायेंगे।

   "सशरीर या यथास्थिति इलेक्ट्रोनिक विडियो लिंकेज के माध्यम से"

उद्देश्य एवं हेतु

विचाराधीन कैदियों को दिन-प्रतिदिन न्यायालय में पेश करना श्रमसाध्य, व्ययसाध्य एवं खतरनाक भी हो गया है । इससे न्यायालय में पेश किये जानेवाले कैदियों की सुरक्षा तो खतरे में पड़ती ही है, साथ ही दुर्दान्त अपराधियों को पेश किया जाना और भी समस्याजनक हो जाता है । बंदियों का पेशी के दौरान भाग खड़ा होना बहुधा सुना जाता है ।

दंड प्रक्रिया संहिता में विचाराधीन कैदियों के सशरीर न्यायालय में पेशी का प्रावधान है । कतिपय राज्यों में कैदियों को विडियो कन्फरेंस लिंकेज के माध्यम से पेशी का प्रावधान किया गया है । इससे न केवल कैदियों को लाने ले जाने की समस्या का समाधान होगा, बल्कि अनावश्यक व्यय से बचा जा सकेगा ।

झारखण्ड राज्य में भी यह प्रावधान किया जाना है एवं इस व्यवस्था के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में आवश्यक संशोधन इस संशोधन विधेयक का अभीष्ट है ।

भार साधक सदस्य ।